



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

पत्रांक: प.नि.6549 / 25

दिनांक 11.02.2025

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अन्तर्गत चार वर्षीय / आठ सेमेस्टर वाले शास्त्री नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन-अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पूर्व में ही पाठ्यक्रम प्रदर्शित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-३ की शासनादेश सं० १०६५/७०-०३-२०२१-१६ (२६)/२०११ दिनांक २०/०४/२०२१ एवं शासनादेश सं०-१५६७/सत्तर-३-२०२१-१६(२६)/२०११ टी.सी. लखनऊ: दिनांक: १३ जुलाई, २०२१ के आलोक में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री (स्नातक), शोध सहित शास्त्री एवं आचार्य (स्नातकोत्तर) के पाठ्यक्रमों के विषयों एवं प्रश्नपत्रों की रूपरेखा एवं नियम निर्धारण हेतु पत्रांक कु.स.८४६१/२४ दिनांक २४.१२.२०२४ को माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित पाठ्यक्रम निर्धारण समिति को दिये गये आदेश के अनुपालन में समिति ने पाठ्यक्रम निर्धारण की रूप रेखा एवं अन्य सम्बन्धी निर्देश अधोलिखित रूप से प्रस्तुत किया है-

पत्रनाम/पत्र क्रमांक	संकायवार मुख्य विषयों का नाम	विषय चयन हेतु नियम/निर्देश
1	2	3
Major Course 01 मुख्य विषय (प्रथम पत्र) अर्जितांश 04 (क्रेडिट) 100 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसमें से 75 अंकों की लिखित परीक्षा व	1. वेदवेदांग संकाय- ऋग्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः(माध्यन्दिनशाखीयः), कृष्ण-यजुर्वेदः(तैत्तिरीयशाखीयः), सामवेदः,अथर्ववेदः(शौनकशाखीयः), वेदनैरुक्तप्रक्रिया,प्राचीनव्याकरणम्,नव्यव्याकरणम्, गणितम्, सिद्धान्तज्यौतिषम्, फलितज्यौतिषम्, धर्मशास्त्र, पौरोहित्यम्। 2. साहित्य संस्कृति संकाय- साहित्यम्, पुराणेतिहासः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्। 3. दर्शन संकाय- प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्यायः, सांख्ययोगम्, पूर्वमीमांसा, वेदान्तः, दर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्, योगतन्त्रम्, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, तुलनात्मकधर्मः। 4. श्रवण विद्या संकाय- जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, थेरवादः(स्थविरवादः), आगमः, प्राकृतम् एवं जैनागमः, भारतीयविद्यासंस्कृतिः। 5. आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय- भाषाविज्ञानम्।	महाविद्यालयों को एक विषय की मान्यता होने की दशा में- मान्यता प्राप्त मुख्य विषय को ही प्रथम पत्र के रूप में चयनित करना होगा। महाविद्यालयों को दो विषयों की मान्यता होने की दशा में- मान्यता प्राप्त दोनों मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय को प्रथम पत्र के रूप में चयनित करना होगा। महाविद्यालयों को तीन अथवा तीन से अधिक विषयों की मान्यता होने की दशा में- मान्यता प्राप्त तीनों मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय को प्रथम पत्र के रूप में चयनित करना होगा।

11/02/25
(प.नि.)

<p>25 अंकों की आन्तरिक मूल्यांकन होगा।</p>	<p>नोट— भारतीयविद्यासंस्कृतिः, भाषाविज्ञानम्, मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।</p>	<p>विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों का प्रवेशित विभाग का विषय ही प्रथम पत्र के मुख्य विषय का संकाय होगा।</p>
<p>Major Course 02 मुख्य विषय (द्वितीय पत्र) अर्जितांश 04 (क्रेडिट) 100 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसमें से 75 अंकों की लिखित परीक्षा व 25 अंकों की आन्तरिक मूल्यांकन होगा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> वेदवेदांग संकाय— ऋग्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः(माध्यन्दिनशाखीयः), कृष्ण-यजुर्वेदः(तैत्तिरीयशाखीयः), सामवेदः,अथर्ववेदः(शौनकशाखीयः), वेदनैरुक्तप्रक्रिया,प्राचीनव्याकरणम्,नव्यव्याकरणम्, गणितम्, सिद्धान्तज्यौतिषम्, फलितज्यौतिषम्, धर्मशास्त्र, पौरोहित्यम्। साहित्य संस्कृति संकाय— साहित्यम्, पुराणेतिहासः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्। दर्शन संकाय— प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्यायः, सांख्ययोगम्, पूर्वमीमांसा, वेदान्तः, दर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्, योगतन्त्रम्, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, तुलनात्मकधर्मः। श्रवण विद्या संकाय— जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, थेरवादः(स्थविरवादः), आगमः, प्राकृतम् एवं जैनागमः, भारतीयविद्यासंस्कृतिः। आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय— भाषाविज्ञानम्। <p>नोट— भारतीयविद्यासंस्कृतिः, भाषाविज्ञानम्, मात्र विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।</p>	<p>प्रथम पत्र के लिये चयनित मुख्य विषय ही द्वितीय पत्र का मुख्य विषय होगा। विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों का प्रथम पत्र का विषय ही द्वितीय पत्र के मुख्य विषय का संकाय होगा।</p>
<p>Minor Course 01 अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय (तृतीय पत्र) अर्जितांश 02 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र</p>	<ol style="list-style-type: none"> वेदवेदांग संकाय— ऋग्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः(माध्यन्दिनशाखीयः), कृष्ण-यजुर्वेदः(तैत्तिरीयशाखीयः), सामवेदः,अथर्ववेदः(शौनकशाखीयः), वेदनैरुक्तप्रक्रिया,प्राचीनव्याकरणम्,नव्यव्याकरणम्, गणितम्, सिद्धान्तज्यौतिषम्, फलितज्यौतिषम्, धर्मशास्त्र, पौरोहित्यम्। साहित्य संस्कृति संकाय— साहित्यम्, पुराणेतिहासः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्। दर्शन संकाय— प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्यायः, सांख्ययोगम्, पूर्वमीमांसा, 	<p>महाविद्यालयों को एक विषय की मान्यता होने की दशा में— चयनित मुख्य विषय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय के तद् विषय सम्बद्ध संकाय का अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय ही ग्राह्य होगा। परन्तु उस विषय के पठन-पाठन की व्यवस्था विद्यालय अपने स्तर से करेंगे। महाविद्यालयों को दो विषयों की मान्यता होने की दशा में— चयनित मुख्य विषय से अतिरिक्त अवशिष्ट विषय/विषयों में से किसी एक विषय को (अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय को) तृतीय पत्र के रूप में चयन</p>

लिखित परीक्षा
होगी।

वेदान्तः, दर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्,
योगतन्त्रम्, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः,
तुलनात्मकधर्मः।

4. श्रवण विद्या संकाय— जैनदर्शनम्,
बौद्धदर्शनम्, थेरवादः(स्थविरवादः),
आगमः, प्राकृतम् एवं जैनागमः,
भारतीयविद्यासंस्कृतिः।

5. आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय—
भाषाविज्ञानम्।

नोट—

मात्र—भारतीयविद्यासंस्कृतिः, भाषाविज्ञानम्,
मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के चयन
हेतु आरक्षित है।

करना होगा, जो प्रथम व द्वितीय पत्र
में चयनित विषय के संकाय के
अन्तर्गत अन्य विभाग का हो।
विभागान्तर न होने की दशा में
विद्यालय अपने स्तर पर उस विषय
के पठन-पाठन की व्यवस्था करेंगे।
तृतीय पत्र के रूप में स्तम्भ-2 में
उपलब्ध विषयों में से चयन करना
होगा। (विभाग/संकाय का तात्पर्य
विश्वविद्यालय में स्वीकृत
विभाग/संकाय से होगा।) यदि
मान्यता प्राप्त दूसरा विषय प्रथम,
द्वितीय पत्र के विषय सम्बद्ध संकाय
से इतर हो तो उसे चतुर्थ, पंचम पत्र
या अन्य के रूप में ही चयन करना
होगा।

महाविद्यालयों को तीन अथवा
तीन से अधिक विषयों की
मान्यता होने की दशा में—

मान्यता प्राप्त तीन विषयों में से प्रथम,
द्वितीय पत्र के लिये चयनित मुख्य
विषय के बाद, मान्यता के शेष बचे दो
विषयों में से किसी एक ऐसे
मुख्यविषय का चयन शास्त्रीय तृतीय
पत्र के रूप में करेंगे जो प्रथम, द्वितीय
पत्र के चयनित विषय के संकाय के
अन्तर्गत अन्य विभाग का मुख्य विषय
हो।

ऐसा न होने की स्थिति में
स्तम्भ-2 के मुख्य विषयों में से प्रथम,
द्वितीय पत्र के चयनित मुख्य विषय के
संकाय के विभाग के अतिरिक्त शेष
बचे विभाग में से ही एक शास्त्रीय
विषय का चयन तृतीय पत्र के रूप में
करना होगा।


विश्वविद्यालय परिसर के छात्र
अपने-अपने प्रवेशित विभाग के
अतिरिक्त अपने संकाय के किसी अन्य
विभाग में से स्तम्भ-2 से एक विषय
का चयन तृतीय पत्र के रूप में करेंगे।

महाविद्यालयों को एक विषय की
मान्यता होने की दशा में—
प्रथम, द्वितीय व तृतीय पत्र के चयनित
विषय के अतिरिक्त किसी भी संकाय
के एक विषय को चयनित करना
अनिवार्य होगा।

Multi
Disciplinary
Course
विश्वविद्यालय में
स्वीकृत कोई भी
विषय

1. वेदवेदांग संकाय— ऋग्वेदः,
शुक्लयजुर्वेदः(माध्यन्दिनशाखीयः),
कृष्ण-यजुर्वेदः(तैत्तिरीयशाखीयः),
सामवेदः,अथर्ववेदः(शौनकशाखीयः),
वेदनैरुक्तप्रक्रिया,प्राचीनव्याकरणम्,नव्यव्य

<p>(चतुर्थ पत्र)</p> <p>अर्जितांश</p> <p>02</p> <p>(क्रेडिट)</p> <p>50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।</p>	<p>1. अकरणम्, गणितम्, सिद्धान्तज्योतिषम्, फलितज्योतिषम्, धर्मशास्त्र, पौरोहित्यम्।</p> <p>2. साहित्य संस्कृति संकाय— साहित्यम्, पुराणेतिहासः, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रम्।</p> <p>3. दर्शन संकाय— प्राचीनन्यायवैशेषिकम्, नव्यन्यायः, सांख्ययोगम्, पूर्वमीमांसा, वेदान्तः, दर्शनम्, तुलनात्मकदर्शनम्, योगतन्त्रम्, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तः, तुलनात्मकधर्मः।</p> <p>4. श्रवण विद्या संकाय— जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, थेरवादः(स्थविरवादः), आगमः, प्राकृतम् एवं जैनागमः, भारतीयविद्यासंस्कृतिः।</p> <p>5. आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय— भाषाविज्ञानम्, सामाजिक विज्ञान विभाग, विज्ञान विभाग।</p> <p>नोट— भारतीयविद्यासंस्कृतिः, भाषाविज्ञानम्, मात्र विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।</p>	<p>महाविद्यालयों को दो विषयों की मान्यता होने की दशा में— मान्यता प्राप्ति का दूसरा मुख्य विषय यदि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पत्र के लिये चयनित मुख्य विषय से भिन्न किसी भी संकाय का मुख्य विषय हो तो, उसका चयन चतुर्थ पत्र के लिये किया जायेगा, अन्यथा की दशा में स्तम्भ-2 में उपलब्ध सभी संकायों में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पत्र को छोड़कर शेष बचे विषय/विषयों में से एक विषय का चयन चतुर्थ पत्र के रूप में करना होगा।</p> <p>महाविद्यालयों को तीन अथवा तीन से अधिक विषयों की मान्यता होने की दशा में— मान्यता प्राप्त तीनों विषयों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पत्र के लिये जिस मुख्य विषय का चयन कर लिया गया है तथा शेष बचा मुख्य विषय किसी अन्य संकाय/विभाग का हो तो, उसका चयन चतुर्थ पत्र के रूप में करना होगा।</p> <p>विश्वविद्यालय परिसर के छात्र अपने-अपने प्रवेशित विभाग/संकाय के अतिरिक्त शेष बचे विभागों में से किसी भी विभाग के एक विषय का चयन चतुर्थ पत्र के रूप में करेंगे।</p>
<p>Minor Course</p> <p>02</p> <p>आधुनिक ज्ञानविज्ञान के अन्तर्गत कोई एक विषय (पंचम पत्र) अर्जितांश</p> <p>03</p> <p>(क्रेडिट)</p>	<p>राजशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, इतिहास/प्राचीनभारतीयेतिहासः, संस्कृतिश्च, भूगोलः, प्राचीनभारतीयराजनीतिः, विज्ञानम्(रसायनविज्ञानम्, जीवविज्ञानम्, भौतिकविज्ञानम्), तुलनात्मकदर्शनम्, समाजशास्त्रम्, भाषाविज्ञानम्, इतिहासपुराणम्, गृहविज्ञानम्(केवल बालिकानां कृते)।</p>	<p>सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को पंचम पत्र के रूप में उपलब्ध स्तम्भ-2 के विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसके आधार पर छात्रों से परीक्षा आवेदनपत्र पूरित कराना होगा, तथा प्रत्येक दो सेमेस्टर के बाद ही विषय परिवर्तित किया जा सकेगा।</p> <p>विश्वविद्यालय परिसरीय छात्र स्तम्भ-2 में दिये गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन पंचम पत्र के रूप में करेंगे।</p>



<p>विज्ञान एवं गृहविज्ञान को छोड़कर शेष सभी विषयों का पूर्णांक 50 अंकों का होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।</p>	<p>नोट-विज्ञान एवं गृहविज्ञान की लिखित परीक्षा का पूर्णांक 35 अंकों का तथा प्रायोगिक परीक्षा 15 अंकों की होगी।</p>	
<p>AEC(Ability Enhancement Course) दक्षता सम्बर्धक पाठ्यक्रम)- (षष्ठ पत्र) अर्जितांश 02 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।</p>	<p>व्यावहारिक संस्कृत, फ्रेन्च, जर्मन, चीनी, रसियन, अंग्रेजी, तिब्बती, प्राचीनफारसी, व्यवहारिक हिन्दी, नेपाली, कन्नड, तमिल, तेलगु, मलयालम, नेपाली भाषा।</p>	<p>सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को षष्ठ पत्र के रूप में उपलब्ध दक्षता सम्बर्धक पाठ्यक्रमों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। जिसके, आधार पर छात्रों से परीक्षा आवेदनपत्र पूरित कराना होगा। विश्वविद्यालय परिसरीय छात्र स्तम्भ-2 में दिये गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन षष्ठ पत्र के रूप में करेंगे।</p>
<p>SEC(Skill Enhancement Course) (कौशल विकास पाठ्यक्रम)- सप्तम पत्र अर्जितांश 03 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।</p>	<p>योग, संगणक अनुप्रयोग, संगीत(गायन, तबला, वादन, सितारवादन), कर्मकाण्ड, ज्योतिष, वास्तु।</p>	<p>सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को सप्तम पत्र के रूप में कौशल विकास पाठ्यक्रमों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसके आधार पर छात्रों से परीक्षा आवेदनपत्र पूरित कराना होगा। विश्वविद्यालय परिसरीय छात्र स्तम्भ दो में दिये गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन सप्तम पत्र के रूप में करेंगे।</p>
<p>Value Added Course</p>	<p>प्रथमाधिसत्र-खाद, पोषण एवं स्वच्छता। द्वितीयाधिसत्र-प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।</p>	<p>विश्वविद्यालय परिसर एवं सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को अष्टम पत्र के लिये</p>

<p>(मूल्य संवर्धक पाठ्यक्रम)– अष्टम पत्र अर्जितांश 01 (क्रेडिट) 50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।</p>	<p>तृतीयाधिसत्र–शारीरिक शिक्षा एवं योग। चतुर्थाधिसत्र–मानव मूल्य, भारतीय संविधान एवं पर्यावरण अध्ययन। पंचमाधिसत्र–विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल जागरूकता। षष्ठाधिसत्र–संचार कौशल एवं व्यक्तिगत विकास।</p>	<p>स्तम्भ-2 में लिखित विषयों में से प्रत्येक सेमेस्टर के लिये अलग-अलग निर्धारित मूल्य सम्बर्धक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित विषय का चयन अनिवार्य पत्र के रूप में करना बाध्यकारी होगा।</p>
<p>कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक– 24.11.2023 में अनुमोदित विशेष अर्हता परीक्षा–</p>	<p><u>अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम–</u> <u>प्रथम सेमेस्टर के लिये–</u> सन्धि प्रकरण–अचसन्धि, हल्सन्धि तथा विसर्गसन्धि का परिज्ञान। कारक प्रकरण–विभिन्न विभक्तियों के अर्थों का अध्ययन। षड्लिंग प्रकरण–अजन्त पुल्लिंग, अजन्त स्त्रीलिंग, अजन्त नपुंसक लिंग, हलन्त पुल्लिंग, हलन्त स्त्रीलिंग, हलन्त नपुंसक लिंग। अनुवाद–उपर्युक्त प्रकरणों से सम्बन्धित अनुवाद। <u>द्वितीय सेमेस्टर के लिये–</u> समासप्रकरण–अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रिहि, द्वन्द्व तथा भ्वादि प्रकरण तथा कृदन्तप्रकरण। अनुवाद–प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के व्याकरणांशों पर आधारित अनुवाद।</p>	<p><u>प्रवेश अर्हता का नियम/निर्देश–</u> ऐसे छात्र जो इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बिना संस्कृत विषय के उत्तीर्ण हैं, उनके चार वर्षीय आठ सेमेस्टर वाले शास्त्री के नवीन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर नवम् पत्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ स्तम्भ-2 में लिखित पाठ्यक्रम की अतिरिक्त अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस उत्तीर्णता के सापेक्ष कोई क्रेडिट देय नहीं होगा।</p>

अन्य सूचना एवं निर्देश -

भाग -9

1. शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 06/06 सेमेस्टर (अधिसत्र) होंगे।
2. दो सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सर्टिफिकेट / प्रमाणपत्र, चार सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा, छह सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर शास्त्री / स्नातक एवं आठ सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर चतुर्वर्षीय शास्त्री / स्नातक (शोध सहित) की उपाधि प्रदान की जाएगी।
3. 90 सेमेस्टर (अधिसत्र) की उत्तीर्णता पर आचार्य / स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी।

4. पाठ्यक्रम में मेजर पद उस मुख्य विषय को इंगित करेगा जिस विषय में छात्र को शास्त्री / स्नातक अथवा आचार्य / स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी। मुख्य विषय का संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय कहलाएगा।
5. माइनर कोर्स 9 से तात्पर्य अन्तर्विषय से होगा, इसके अन्तर्गत छात्र अपने मुख्य विषय से अतिरिक्त अपने ही संकाय के अन्तर्गत किसी अन्य विषय का चयन करेगा।
6. मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में स्वीकृत कोई भी विषय से होगा। परन्तु मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी में विषयों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी।
7. माइनर इलेक्टिव द्वितीय से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समूह में से किसी एक से होगा। इस समूह में मेजर, अन्तर्विषयक माइनर इलेक्टिव प्रथम व कौशल विकास पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समाहित विषयों से भिन्न विषय ही समाहित होंगे।
8. Vocational / skill Development course / कौशल विकास पाठ्यक्रम का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समूह के विषयों से होगा।
9. Co-curricular course से तात्पर्य सहविषय पाठ्यक्रमों से होगा जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य 06 विषय समाहित हैं।
10. उत्तर मध्यमा / प्राक्शास्त्री / इण्टरमीडिएट अथवा तत्समकक्ष उपाधि परीक्षा में संस्कृत विषय न होने की स्थिति में छात्रों को प्रथम अधिसत्र में नवम पत्र के रूप में संस्कृत भाषा से सम्बन्धित निर्धारित पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसकी गणना ग्रेडिंग अथवा श्रेणी निर्धारण में नहीं की जाएगी। पालि विषय के प्रवेशार्थियों के लिए इण्टरमीडिएट में पालि विषय होने पर संस्कृत भाषा की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है।

भाग - २

(क) शास्त्री प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर (अधिसत्र) पर्यन्त 0८ पत्र होंगे, जिसका पूर्णांक ७५ अंकों का होगा, जिसकी परीक्षा तीन घण्टे की होगी। प्रश्नपत्र के कुल तीन भाग होंगे, जिसके अन्तर्गत -

1. प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र मुख्य (मेजर विषय) होगा, जिसके तीन भाग होंगे-

प्रथम भाग में कुल 06 व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये १२ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार प्रथम भाग कुल ३६ अंकों का होगा।

द्वितीय भाग में कुल 0३ लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये 0५ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार द्वितीय भाग कुल १५ अंकों का होगा।

तृतीय भाग में कुल 0८ अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, आठों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये 0३ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार तृतीय भाग कुल २४ अंकों का होगा।

2. तृतीय प्रश्न अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय (माइनर 9) का होगा।
3. चतुर्थ प्रश्न पत्र मल्टीडिसिप्लिनरी का होगा।
4. पंचम प्रश्न पत्र माइनर इलेक्टिव द्वितीय का होगा।
5. षष्ठ प्रश्न पत्र दक्षता सम्बर्धक पाठ्यक्रम का होगा।
6. सप्तम प्रश्न पत्र कौशल विकास पाठ्यक्रम का होगा।
7. अष्टम प्रश्न पत्र मूल्य सम्बर्धक पाठ्यक्रम का होगा।
8. तृतीय पत्र से अष्टम पत्र (माइनर विषय) तक की मात्र लिखित(सैद्धान्तिक) परीक्षा के २२ प्रश्नों के लिये ५० अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी परीक्षा 0३ घण्टे की होगी। प्रश्नपत्र के कुल तीन भाग होंगे-

प्रथम भाग में कुल ०६ व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०६ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार प्रथम भाग कुल १८ अंकों का होगा।

द्वितीय भाग में कुल ०३ लघुत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०४ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार द्वितीय भाग कुल १२ अंकों का होगा।

तृतीय भाग में कुल १० अतिलघुत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, आठों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०२ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार तृतीय भाग कुल २० अंकों का होगा।

पंचम पत्र विज्ञान एवं गृहविज्ञान की लिखित परीक्षा का पूर्णांक ३५ अंकों का होगा। प्रश्नपत्र के तीन भाग होंगे-

प्रथम भाग में कुल ०६ व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०५ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार प्रथम भाग कुल १५ अंकों का होगा।

द्वितीय भाग में कुल ०३ लघुत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०४ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार द्वितीय भाग कुल १२ अंकों का होगा।

तृतीय भाग में कुल ०८ अतिलघुत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, आठों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०१ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार तृतीय भाग कुल ०८ अंकों का होगा।

(ख) पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर (अधिसत्र) में कुल ०६ प्रश्न पत्र होंगे जिसके अन्तर्गत -

1. पंचम अधिसत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र मेजर (मुख्य) विषय के होंगे।
2. पंचम एवं षष्ठ अधिसत्र में पंचम पत्र Minor Elective का होगा।
3. षष्ठ प्रश्न पत्र अनिवार्य सहविषय पाठ्यक्रम का होगा।

(ग) सप्तम, अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) /शास्त्री चतुर्थ वर्ष (शोध सहित) में कुल ०६ पत्र होंगे जिसके अन्तर्गत

1. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम प्रश्न पत्र मेजर (मुख्य) विषय के होंगे।
2. सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) के पंचम प्रश्न पत्र में मुख्य विषय अथवा अन्तर्विषय से सम्बन्धित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. सप्तम सेमेस्टर (अधिसत्र) में षष्ठ प्रश्न पत्र में माइनर इलेक्टिव के अन्तर्गत शोध प्रविधि (Research Methodology) का पत्र अनिवार्य होगा।
4. सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) के पंचम प्रश्न पत्र में मुख्य विषय से सम्बन्धित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) में षष्ठ प्रश्न पत्र में माइनर के अन्तर्गत पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पुरातात्विक लेखन (Manuscriptology & Paliography) का पत्र अनिवार्य होगा।

(घ) नवम, दशम सेमेस्टर (अधिसत्र) / स्नातकोत्तर में कुल ०५ प्रश्न पत्र होंगे, जिसके अन्तर्गत -

1. सभी प्रश्न पत्र मेजर (मुख्य) विषय के होंगे।
2. पंचम प्रश्न पत्र में मुख्य विषय से सम्बन्धित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार शास्त्री के ०६ अधिसत्रों(तीन वर्ष) में कुल १३२ क्रेडिट निर्धारित होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर शास्त्री (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी को ०८ अधिसत्रों (चार वर्ष) में कुल $(१३२+५०)= १८४$ क्रेडिट निर्धारित होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर शास्त्री (शोध सहित) (स्नातक शोध सहित) एवं १० अधिसत्रों (पांच वर्ष) में कुल $(१८२+५०)= २३२$ क्रेडिट निर्धारित होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर आचार्य (स्नातकोत्तर) की उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि-

- (१) विद्यार्थी तीन वर्ष के मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम ६० प्रतिशत जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।
- (२) एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा।
- (३) द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेगा न कि डिप्लोमा में, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

भाग-३

1. प्रथम व द्वितीय पत्र का पूर्णांक 100 -100 अंकों का होगा, जिसमें 75 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा होगी। 25 अंकों की आन्तरिक परीक्षा जो परिसर में सम्बन्धित विभागों द्वारा एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का, महाविद्यालय द्वारा ली जायेगी।
2. प्रथम व द्वितीय पत्रों के लिये चार-चार क्रेडिट अलग-अलग निर्धारित होगा।
3. प्रथम व द्वितीय पत्र के लिये सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये 27 अंक एवं आन्तरिक परीक्षा के लिये 09 अंक उत्तीर्णांक होगा।
4. प्रथम व द्वितीय पत्र की अलग-अलग उत्तीर्णता के लिये लिखित व आन्तरिक मूल्यांकन के 36 अंक संयुक्त रूप से उत्तीर्णांक होगा, किन्तु आन्तरिक मूल्यांकन में छात्र अनुपस्थित न हो।
5. तृतीय से अष्टम पत्र का पूर्णांक 50 अंकों का होगा, जिसमें 18 अंकों का उत्तीर्णांक होगा।
6. तृतीय, चतुर्थ एवं षष्ठ पत्र के लिये दो-दो क्रेडिट निर्धारित होगा।
7. प्रथम से अष्टम पत्र के सभी पत्र की उत्तीर्णता स्वतन्त्र पत्र के रूप में निर्धारित होगी
8. पंचम एवं सप्तम पत्र के लिये तीन-तीन क्रेडिट निश्चित होगा।

9. अष्टम पत्र के लिये मात्र 01 क्रेडिट निश्चित होगा।
10. किसी एक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने की दशा में छात्र मात्र एक पत्र की बैक परीक्षा के लिये अर्ह होगा।
11. श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के लिये छात्र को मात्र एक पत्र अनुमन्य होगा।
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को तीन मुख्य विषय व कई आधुनिक भाषा के अध्ययन का विकल्प सुलभ है, जिसके कारण एक विषयक परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जायेगा।
13. छात्र को एक सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये मुख्य परीक्षा के साथ दो अन्य प्रयास बैक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अनुमन्य होगा।
14. दो या दो से अधिक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने की दशा में छात्र सम्बन्धित सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में भूतपूर्व(Ex-student) छात्र के रूप में सम्मिलित होगा।
15. यदि कोई छात्र किसी कारणवश परीक्षाआवेदन पूरित नहीं कर पाता है तो, छात्र आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं होगा।
16. गृहविज्ञान/विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों के लिये छात्र/छात्रा व्यक्तिगत परीक्षा के लिये अर्ह होंगे।
17. गृहविज्ञान/विज्ञान विषय में 35 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा तथा 15 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। समय-चक्र के अनुसार निर्धारित तिथि पर, परीक्षा केन्द्र द्वारा स्तरीय परीक्षकों से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराया जायेगा।
18. सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात विश्वविद्यालय की पोर्टल पर ऑन लाइन पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक अंको की प्रविष्टि एतदर्थ निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत करना अनिवार्य होगा।
19. विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के आन्तरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक अंक सम्बन्धित विभागों द्वारा संगणक केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार संगणक केन्द्र कार्यदायी संस्था से ऑन लाइन पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक अंको की प्रविष्टि करायेगा।
20. संस्कृत विद्या एवं भाषा विज्ञान का विषय मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के लिये आरक्षित है, इसलिये महाविद्यालयीय छात्र इन विषयों का चयन कथमपि न करें।
21. माइजर कोर्स दो के पंचम पत्र हेतु चयनित विषय को प्रत्येक दो सेमेस्टर के बाद ही परिवर्तित किया जा सकेगा।

22. किसी भी पत्र के चयन में विषयों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी।

23. आन्तरिक परीक्षा के मूल्यांकन का आधार—

1. छात्र की सत्रीय उपस्थिति।
 2. महाविद्यालय में छात्र का आचरण।
 3. महाविद्यालय में छात्र का अनुशासन।
 4. सत्र पर्यन्त महाविद्यालय में छात्र की शैक्षणिक गतिविधियाँ।
24. विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के लिये उपर्युक्त चारों बिन्दुओं का सुनिश्चितिकरण सम्बन्धित विषयों के विभागों द्वारा किया जायेगा।
25. सभी आठ सेमेस्टर में अधोलिखित चार्ट के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट का निर्धारण होगा—

श्री श्री श्री सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड (राज्य शिक्षा की शक्ति के साथ)													
सर्वोच्च शैक्षणिक विभाग, उत्तराखण्ड (राज्य शिक्षा की शक्ति के साथ)													
Major Course - 01	4 cr	4 cr	4 cr	4 cr	Major Course 01	6 cr	6 cr	24	01	Major 1	4 cr	6 cr	
Major Course - 02	4 cr	4 cr	4 cr	4 cr	Major Course 02	6 cr	6 cr	24	02	Major 2	4 cr	4 cr	
Minor Course-01 (सत्रीय पाठ्यक्रम)	2 cr	2 cr	2 cr	2 cr	Minor Course 01	4 cr	4 cr	20	03	Major 3	4 cr	4 cr	
Minor Elective Course (20-25 से 5 सेमे)	2 cr	2 cr	2 cr	2 cr	Minor Course 04	4 cr	4 cr	17	04	Major 4	4 cr	4 cr	
Minor Course - 02 (सत्रीय पाठ्यक्रम से 25 से 30 सेमे तक)	2 cr	2 cr	2 cr	2 cr	Minor Course	2 cr	2 cr	20	05	Major 5	6 (Research Project) Dissertation	6 (Research Project) Dissertation	
ABC (Ability Enhancement Course) (सत्रीय पाठ्यक्रम)	2 cr	2 cr	2 cr	2 cr				8	06	Minor	2(20.20)	2(20.20)	
SAC (Skill Enhancement Course) (सत्रीय पाठ्यक्रम)	3 cr	2 cr	2 cr	2 cr				9					
Value-Added course (सत्रीय पाठ्यक्रम)	1 cr	1 cr	1 cr	1 cr		1 cr	1 cr	6					
Internship (श्रेणीय पाठ्यक्रम)		2 cr	2 cr					2				Total No. of Credits (2023 Years)	
Grading											24	26	
State Compulsory Seminars (सत्रीय पाठ्यक्रम) (सत्र में 42 सेमे)	Non-credit course of Semiotic Language (Only in first Semester)												08
	21	21	21	21				24	24	152		Total No. of Credits in Semester with research	
												152+48=192	

सत्र में 2021-22 में 1 सेमे सेमेस्टर का 4 सेमे पाठ्यक्रम

Cr = Credit

S.M. = Research Methodology

MSP = Manuscriptology & Palaeography

Minor SP = Minor Research Project

26. यदि महाविद्यालयों को किसी ऐसे मुख्य विषय या अन्य भाषा/पाठ्यक्रम का चयन करना पड़ रहा है, जिसकी मान्यता उसे नहीं है तो, महाविद्यालय उस



विषय के लिये आवश्यक संसाधन तथा अध्यापकों की व्यवस्था अपने स्तर से करके, अध्ययन-अध्यापन पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

27. उपर्युक्त के क्रम में महाविद्यालयों के सुझाव व सुविधा के दृष्टिगत अन्य निर्देश भी दिया जा सकेगा।

28. उपर्युक्त के क्रम में प्राचार्यगणों को दिये गये किसी निर्देश में यदि अस्पष्टता हो तो, एतदर्थ सुझाव परीक्षा नियंत्रक को लिखित रूप से सूचित करें।


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम की नीति का अनुपालन करते हुए छात्रों को अपनी इच्छानुसार विषय चयन की अजादी(Choice Based Credit System) CBCS पद्धति पर NEP 2020 के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-३ द्वारा प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष निर्दिष्ट नियमावली के अनुसार उपरोक्त पाठ्यक्रम की संरचना एवं निर्देश आदि का निर्धारण शासनादेश सं० १०६५/७०-०३-२०२१-१६ (२६)/२०११ दिनांक २०/०४/२०२१ एवं शासनादेश सं०-१५६७/सत्तर-३-२०२१-१६(२६)/२०११ टी.सी. लखनऊ: दिनांक: १३ जुलाई, २०२१ के सातत्य में सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रभावी/लागू किया जाता है।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।


(प्रो. सुधाकर मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक


प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सभी सम्माननीय संकायाध्यक्ष।
3. अध्यक्ष, पाठ्यक्रम एवं नियम निर्धारण समिति।
4. सिस्टम एनालिस्ट, संगणक केन्द्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उक्त कार्यालय-ज्ञाप को प्रदर्शित करने तथा तदनुसार परीक्षावेदनपत्र का प्रारूप निर्धारित करते हुए ऑनलाइन परीक्षावेदनपत्र पूरित करने की व्यवस्था हेतु।
5. आशुलिपिक कुलसचिव।
6. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)/अधीक्षक(परीक्षा)।
7. जनसम्पर्क कार्यालय।
8. सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
9. सम्बद्ध पत्रावली।


(प्रो. सुधाकर मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक
